# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 48 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 17–8–2020

राजेश पुत्र लादू गुर्जर निवासी कबीर आश्रम के पास निवाई तहसील निवाई जिला– टोंक राज0 –अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला–टोक –रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 26–5–2020 मिसल नम्बर 408 / 2020**

उपरिथति : (1) श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

दिनांक 20–10–2021

**निर्णय**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 26–5–2020 के द्वारा अपीलान्ट को कस्बा निवाई की चरागाह भूमि खसरा नम्बर 3507 / 4 कुल रकबा 18.00 बीघा में से 0.01 बिस्वा भूमि पुख्ता मकान बना कर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए पेनल्टी कायम कर भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर उसके पिता के समय से ही मकान बना हुआ है तथा अपीलान्ट अपने माता पिता के साथ उक्त मकान में निवास करता आ रहा है। अपीलान्ट के मकान के चारो ओर घनी आबादी बसी हुई है तथा कई मकान बने हुए हैं, किन्तु अपीलान्ट को टारगेट कर विधि विरूद्ध तरीके से नोटिस जारी का उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई है। जो विधि एंव विधान के विपरीत है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन रहा कि अपीलान्ट के पिता ने जिस भूमि पर मकान निर्माण किया है वह भूमि वार्ड नं0 17 नगर पालिका निवाई के क्षेत्राधिकार में आती है। नगर पालिका निवाई ने समपूर्ण आवश्यक सु[illegible] वहा निवास करने वालों को उपलब्ध करवा रखी हैं। उक्त भू[illegible] के कारण भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार मात्र नगर पालिका अधिनियम के तहत ही है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित कर भारी कानूनी भू[illegible]

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:50:20 IST
Reason: SelfAttested

है। अपीलान्ट के मकान पर बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन भी दिया हुआ है। तहसीलदार निवाई ने अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया जो विधि एंव विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय के बारे में 24–7–2020 को हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट लोकडाउन के कारण से घर से बाहर नहीं निकला बाद में जानकारी होने पर अपीलान्ट ने तुरन्त दिनांक 27–7–2020 को अविलम्ब नकल की दरख्वास्त पेश कर नकल प्राप्त की एंव न्यायहित में देरी को क्षमा किये जाने हेतु दफा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–5–2020 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 3507/4 कुल रकबा 18.00 बीघा में से 0.01 बिस्वा भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में स्वंय ने भी यह माना है कि उक्त भूमि पर उसके पिता के समय से ही मकान बना हुआ है तथा अपीलान्ट अपने माता पिता के साथ उक्त मकान में निवास करता आ रहा है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। उक्त अतिक्रमिण भूमि की किस्म चरागाह है एंव किसी भी राज्यादेश के तहत नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में साक्ष्य सबुत पेश करने चाहिये थे। अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 3507/4 कुल रकबा 18.00 बीघा में से 0.01 बिस्वा भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने स्वंय ने भूमि पर मकान बना होना माना है तथा उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में आने के कारण भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार मात्र नगर पालिका निवाई का बताया है किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि नगरपालिका के अधीन आती हो। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 26–5–2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:50:20 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)